भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1214
मंगलवार, 11 फ़रवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों हेतु एक समान सॉफ्टवेयर

1214. श्री एम. के. राघवन:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों हेतु एक समान सॉफ्टवेर आरंभ करने की कोई योजना है ;
(ख) यदि हां, तो क्या यह सॉफ्टवेयर सभी राज्यों द्वारा अपनाना अनिवार्य होगा अथवा इसे चुनने या चुनने के विकल्प का प्रावधान है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): भारत सरकार ₹2,516 करोड़ की कुल वित्तीय लागत के साथ कार्यात्मक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को लागू कर रही है। इस परियोजना के तहत सभी कार्यात्मक PACS को एक ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से NABARD से जोड़ना शामिल है। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का सामान्य सॉफ्टवेयर NABARD द्वारा विकसित किया गया है, और 27.01.2025 तक 50,455 PACS को ERP सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है।

PACS कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य एक समग्र ERP समाधान प्रदान करना है, जिसमें PACS के मॉडल उपनियमों के तहत निर्दिष्ट 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। यह वित्तीय सेवाओं (लघु, मध्यम और दीर्घकालिक ऋण), खरीद संचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संचालन, व्यापार योजना, भंडारण, व्यापार, उधारी, परिसंपत्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न मॉड्यूल को कवर करता है।

अब तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 67,930 PACS के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसके लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार की ओर से ₹741.34 करोड़ जारी किए गए हैं।

सभी भागीदार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी आवश्यकताओं और कार्यात्मक जरूरतों के अनुसार ERP सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, सामान्य लेखा प्रणाली (CAS) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से PACS के प्रदर्शन में दक्षता लाता है। इसके अलावा, यह PACS में शासन और पारदर्शिता में सुधार करता है, जिससे ऋणों के शीघ्र वितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतानों में असंतुलन को कम करने, DCCBs और StCBs के साथ सहज लेखांकन को सक्षम बनाता है। इससे PACS की कार्यप्रणाली में किसानों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान मिलेगा।

******